बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या– CSTL/25/2017.....623........./कृ0, पटना, दिनांक– ..01..... अगस्त सितंबर, 2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय :– **केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का बिहार राज्य में कार्यान्वयन हेतु 2018–19 में केन्द्रांश मद–1284.2682 लाख रुपये, राज्यांश 856.1788 लाख रुपये, कुल 2140.447 लाख (इक्कीस करोड़ चालीस लाख चौवालिस हजार सात सौ) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

ओदश :– स्वीकृत।

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का बिहार राज्य में कार्यान्वयन हेतु 2018–19 में केन्द्रांश मद–1284.2682 लाख रुपये, राज्यांश 856.1788 लाख रुपये, कुल 2140.447 लाख (इक्कीस करोड़ चालीस लाख चौवालिस हजार सात सौ) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार के पत्रांक – भारत सरकार के पत्रांक – 2–2/2018 fert use दिनांक 26 मार्च 2017 के अनुसार 2018–19 में बिहार राज्य के लिए कुल 654389 नमूना का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। उक्त के आलोक में अनुसूची–1 के अनुरूप भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3. वर्ष 2018–19 में भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश मद में अबतक कोई राशि विमुक्त नहीं किया गया है। भारत सरकार से केन्द्रांश मद में राशि विमुक्त होने पर समानुपातिक राज्यांश की राशि सहित, आवंटन आदेश निर्गत किया जाएगा।

4.1 भारत सरकार के पत्रांक 16–6/2016 Fertuse दिनांक 29–08–2016 के अनुसार इस योजनान्तर्गत आवर्ती व्यय के रूप में प्रति नमूना 300 रू0 का प्रावधान है। इस प्रकार 654389 नमूनों की जाँच पर कुल 1963.167 लाख रुपये व्यय किया जायेगा। प्रति नमूना जिसका मदवार ब्यौरा निम्नवत है :–

क्रमांक	कार्य मद	व्यय सीमा (रु० प्रति नमूना)
1	नमूनाकरण लागत	40.00
2	संविदा पर कार्यरत मानव बल के मानदेय एवं प्रशिक्षण	37.00
3	नमूना विश्लेषण रसायन एवं अन्यान्य	150.00
4	कार्ड प्रींटिंग प्रति नमूना	50.00
5	कार्ड वितरण प्रति नमूना	10.00
6	प्रत्यक्षण	5.00
7	जागरुकता/मिशन मैनेजमेंट/प्रचार प्रसार	4.00
8	जी०पी०एस० यंत्र	4.00
	एक नमूना के विशलेषण पर कुल लागत	**300.00**

4.2 मृदा सुधारक हेतु रु० 2500/– हेक्टर की दर से 3460 हेक्टर में रुपये 86.50 लाख व्यय किया जाएगा।

4.3 नमूनों के विश्लेषण हेतु मिट्टी रसायनज्ञों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके लिए कुल 22 प्रशिक्षण (20 के बैच में) के लिए 60,000 रु० प्रति प्रशिक्षण की दर से रुपये 13.20 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है।

4.4 किसानों के क्षमता संवर्द्वन हेतु 24,000 रु० प्रति प्रशिक्षण की दर से कुल 25 प्रशिक्षण के लिए रुपये 6.00 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है।

4.5 प्रसार कर्मियों / प्रयोगशाला कर्मी के क्षमता संवर्द्धन हेतु 36,000 रु० प्रति प्रशिक्षण की दर से कुल 21 प्रशिक्षण के लिए रुपये 7.56 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है।

4.6 समेकित संचार तकनीक अंतर्गत (ICT) 20.55 लाख रु० का प्रावधान किया गया है।

4.7 मिशन प्रबंधन में 41.97 लाख रु० का प्रावधान किया गया है जिसमें 12.237 लाख रुपये रेफरल नमूनों के जाँच के व्यय का प्रावधान मिशन मैनेजमेंट में निर्धारित मद से ही किया जा रहा है जिससे राज्य में अधिसूचित केन्द्रीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला पटना के आलावा अन्य दो रेफरल प्रयोगशाला डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविधालय, पूसा एवं बिहार कृषि विश्वविधालय, सबौर को भी रेफरी नमूना की संख्या एवं माँग के अनुरुप राशि की निकासी संयुक्त निदेशक (रसायन) द्वारा विकास भवन कोषागार से निकासी कर भुगतान की जायगी।

4.8 मिट्टी रसायनज्ञों का प्रशिक्षण, राज्य स्तरीय कार्यशाला, आई0सी0टी0 के अतिरिक्त मिशन मैनेजमेंट में 29.733 लाख रूपये की कर्णांकित राशि कृषि निदेशक द्वारा बामेती से पूर्व प्राप्ति रसीद प्राप्त कर निकासी की जायगी और इसे बामेती के पी0 एल0 खाता संख्या – 278 में स्थानांतरित किया जायगा जिसे कृषि निदेशक के परामर्श पर व्यय किया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वार स्वीकृत राशि का ब्यौरा अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है। कोटिवार राशि का ब्यौरा अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है। इसमें अनुसूचित जन जाति घटक का आवंटन मात्र वैसे जिलों में समानुपातिक रुप से किया जा रहा है जिन जिलों की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार दस हजार से अधिक है।

6. आवंटित राशि की निकासी संबद्ध प्रयोगशालाओं के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से की जायगी तथा संबंधित मद में व्यय किया जायेगा।

7. योजना के कार्यान्वियन के लिए कार्यान्वियन अनुदेश पत्रांक NMSA (को०) / 18 / 2015 / 383 दिनांक 17 मई 2017 द्वारा निर्गत है जो वित्तीय वर्ष 2018–19 में भी लागू रहेगा।

8. योजना कार्यान्वियन की आवश्यकता के अनुसार प्रशासी विभाग द्वारा यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।

9. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उद्व्यय में वृद्धि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लक्ष्य संशोधित किया जा सकेगा।

10. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की कार्य योजना राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति से स्वीकृत है।

11. बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रुपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 105–खाद तथा उर्वरक, माँग संख्या– 01,उप शीर्ष 0207 – राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड–**01-2401001050207** ,पी०एफ०एम०एस० कोड 2009 विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान 0207.31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन"	1625.43	1065.94261
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना , माँग संख्या– 01, उप शीर्ष 0238–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड–**01-2401007890238,** पी०एफ०एम०एस० कोड 2009 विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान 0238.31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन"	313.34	205.48291

मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 796–जनजातिय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या– 01, उप शीर्ष 0258–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड–**01-2401007960258,** पी०एफ०एम०एस० कोड 2009 विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान 0258. 31.06 सहायक अनुदान – गैर वेतन	19.58	12.84268
कुल केन्द्रांश	**1958.35**	**1284.26820**
राज्यांश		
"मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–खाद तथा उर्वरक, माँग संख्या– 01, उप शीर्ष–0307–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड–**01-2401001050307,** पी०एफ०एम०एस० कोड 2009 विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान 0307. 31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन "	1083.62	710.62840
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना माँग संख्या–01,उप शीर्ष– 0338–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड–**01-2401007890338,** पी०एफ०एम०एस० कोड 2009, विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान 0338.31.06 सहायक अनुदान –गैर वेतन"	208.89	136.98861
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, माँग संख्या– 01, उप शीर्ष–0358–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड–**01-2401007960358,** पी०एफ०एम०एस० कोड 2009, विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान 0358.31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन	13.06	8.56179
कुल राज्यांश	**1305.57**	**856.17880**
सकल योग	**3263.92**	**2140.44700**

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 के 7 (क) में निहित प्रावधान के आलोक में यह चालू योजना है। योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव में माननीय मंत्री, कृषि का संचिका संख्या – सी0एस0टी0एल0–25/2017 के पृ०सं0–38/टि0 पर दिनांक–06.09.2018 को अनुमोदन प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– CSTL/25/2017 के पृ०सं0–42/टि० पर दिनांक– 19.09.2018 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–175, दिनांक 14.09.2018 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(हस्ताक्षर) 27.9.18

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– CSTL/25/2017 623 /कृ0, पटना, दिनांक– 01 ~~सितंबर~~ अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 27.9.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।